न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड, म०प्र० (समक्ष:- सतीश कुमार गुप्ता)

<u>सत्र प्रकरण कं0 156/2017</u> संस्थापन दिनांक 24.07.2017

> म०प्र० राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

अभियोगी

।। <u>विरु</u>द्धा

WIND STATE भूपेंद्र सिंह पुत्र यतेंद्र सिंह गुर्जर आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम आलौरी, चौधरी का पुरा, थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0, हाल निवासी गरम सड़क, वार्ड नंबर 26 दीन मोहब्बत का बाडा, मुरार थाना मुरार, जिला ग्वालियर (म0प्र0) 2.

अभियुक्तगण

- लल्ला उर्फ रामनरेश सिंह गुर्जर पुत्र भोगीराम गुर्जर आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम मानपुर थाना सिहोनिया जिला मुरैना (म0प्र0)
- अतेंद्र सिंह गुर्जर पुत्र मंगल सिंह गुर्जर आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम आलौरी थाना गोहद जिला भिण्ड (ਸ0प्र0)
- राजेंद्र सिंह गुर्जर पुत्र भोगीराम सिंह गुर्जर आयु 47 वर्ष निवासी मानपुर खड़ियार थाना सिहोनिया जिला मुरैना (म0प्र0)

म0प्र0 राज्य की ओर से – श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

सभी अभियुक्तगण की ओर से – श्री जी०एस० गुर्जर अभिभाषक ।

यह सत्र प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (श्री ए ०के०गुप्ता) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क० 188/17 में पारित उपार्पण आदेश दिनॉक 17.07.2017 से उद्भूत।

// निर्णय//

(आज दिनांक 21.03.2018 को घोषित)

- 01. उपरोक्त सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 506 व 307 अथवा 307/34 भा0 दं0 संं के अंतर्गत इस आशय के आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 16.09.2016 को करीब 17:00 बजे फरियादी के खेत चौधरी का पुरा ग्राम आलोरी थाना गोहद में सार्वजिनक स्थल पर अश्लील शब्दों का उच्चारण करते हुये फरियादी जितेंद्र सिंह को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी जितेंद्र सिंह व आहत नाथू सिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा उन्होंने आहत नाथू सिंह की हत्या करने हेतु परस्पर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में अभियुक्त अतेंद्र सिंह द्वारा अपनी लायसेंसी रायफल से आहत नाथू सिंह गुर्जर पर गोली इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में मारी कि यदि उसकी मृत्यु कारित हो जाती तो वे हत्या के दोषी होते और अभियुक्तगण अतेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह के विरुद्ध धारा 30 आयुध अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के भी आरोप हैं कि उन्होंने आयुध अधिनियम के प्रावधानों सिंहत लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन में हत्या कारित करने के आशय से अपनी लायसेंसी बंदूक का उपयोग किया।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 16.09.2016 को करीब 02. 17:00 बजे, चौधरी का पुरा, ग्राम आलौरी थाना गोहद में स्थित फरियादी जितेंद्र सिंह अ0सा0—1 के खेत को अभियुक्तगण अतेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह व लल्ला सिंह द्वारा जबरन जोत रहे होने के कारण फरियादी जितेंद्र सिंह अ०सा०-1 व उसके भाई नाथू सिंह अ०सा०-2 एवं चचेरे भाई वकील सिंह अ०सा0-3 ने मौके पर अर्थात् उक्त खेत पर पहुंचकर अभियुक्तगण को जबरन खेत जोतने से मना किया तो अभियुक्तगण, फरियादी जितेंद्र सिंह को मादरचोद-बहनचोद की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। फरियादी पक्ष द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त भूपेंद्र सिंह ने कहा कि घेर लो सालों को तो फरियादी का भाई नाथू सिंह उन्हें रोकने के लिये आगे आया तो अभियुक्त अतेंद्र सिंह ने अपनी लायसेंसी रायफल से जान से मारने की नियत से गोली मारी, जो फरियादी के भाई नाथू सिंह के सिर में लगने से वह गिर पड़ा और उसके बाद अभियुक्त राजेंद्र सिंह ने अपनी लायसेंसी रायफल से गोली चलाई तथा सभी अभियुक्तगण ने फरियादी जितेंद्र सिंह एवं आहत नाथू सिंह को भविष्य में खेत की तरफ देखने की दशा में जान से खत्म कर देने की धमकी दी। उक्त घटना के तत्काल पश्चात् फरियादी जितेंद्र सिंह द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद में उपस्थित होकर उक्त घटना के संबंध में मौखिक रिपोर्ट किये जाने पर सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307, 294, 506 व 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 256 / 16 पर प्र0पी0-1 अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया गया।
- 03. उक्त घटना के संबंध में विवेचना के अनुक्रम में घटना दिनांक 16.09.16 को ही आहत नाथू सिंह का प्र0पी0-8 के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण कराते हुये दिनांक 16.09.17 को क्यूरी रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं दिनांक 17.09.16 को घटनास्थल का मानचित्र प्र0पी0-2 तैयार करते हुये घटनास्थल



से रायफल के पीतल के चार चले हुये कारतूस एवं 12 बोर की बंदूक के 6 चले हुये कारतूस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0-3 तैयार किया एवं खून आलूदा व सादा मिट्टी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0-4 तैयार किया गया। दिनांक 21.09.16 को फरियादी / साक्षी जितेंद्र सिंह व वकील सिंह के प्र0पी0-6 व प्र0पी0-7 अनुसार कथन लेखबद्ध किये गये एवं दिनांक 27.09.16 को साक्षी नाथू सिंह का प्र0पी0-8 अनुसार कथन लेखबद्ध किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 19.12.16 को अभियुक्त भूपेंद्र सिंह को प्र0पी0—13 अनुसार व दिनांक 16.02.17 को अभियुक्त लल्ला को प्र0पी0—14 अनुसार गिरफतार किया गया एवं दिनांक 22.02.17 को अभियुक्त अतेंद्र सिंह को प्र0पी0-15 अनुसार गिरफतार कर जप्ती पत्रक प्र0पी0-12 अनुसार उसके कब्जे से एक 315 बोर की लायसेंसी रायफल व लायेंसस जप्त किया गया तथा दिनांक 09.04.17 को अभियुक्त राजेंद्र सिंह को प्र0पी0-16 अनुसार गिरफ्तार कर जप्ती पत्रक प्र0पी0—11 अनुसार उसके कब्जे से एक 315 बोर की लायसेंसी रायफल व लायसेंस जप्त किया गया और जप्तशुदा सामग्री को प्र0पी0-17 के अनुसार आर्टिकल-ए लगायत आर्टिकल-एफ को राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर की ओर भिजवाये जाने पर वहाँ से प्र0पी0–18 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307, 294, 506 व 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अभियोग पत्र कमिटल न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से उक्त प्रकरण उपार्पित किया जाकर माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड के आदेशानुसार विधिवत विचारण व निराकरण हेत् यह सत्र प्रकरण इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुआ है।

04. प्रकरण में सभी अभियुक्तगण के द्वारा धारा 307 अथवा 307 / 34, 294, 506 भाठवंठसंठ तथा अभियुक्तगण अतेंद्र व राजेंद्र के द्वारा धारा 30 आयुध अधिनियम का अपराध घटित किये जाने के संबंध में प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त आधार पाये जाने से अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार धाराओं के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध घटित करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहे जाने के कारण अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये साक्षी जितेंद्र सिंह (अ.सा.1), नाथू सिंह (अ.सा.2), वकील सिंह (अ.सा. 3), डॉ० आलोक शर्मा (अ.सा.4), डॉ० पी०एस० खेनवार (अ.सा.5), यतेंद्र सिंह भदौरिया (अ.सा.6) का परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात अभियुक्तगण का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने अपने—आप को निर्दोष होना व झूंटा फॅसाया जाना व्यक्त करते हुये बचाव में अभियुक्त अतेंद्र सिंह ब०सा0—1 का परीक्षण कराया गया है।

05. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:--

01. क्या सभी अभियुक्तगण ने दिनांक 16.09.2016 को करीब 17:00 बजे फिरियादी के खेत चौधरी का पुरा ग्राम आलोरी थाना गोहद में सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्दों का उच्चारण करते हुये फिरियादी



जितेंद्र सिंह को क्षोभ कारित किया ?

- 02. क्या सभी अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी जितेंद्र सिंह व आहत नाथू सिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- वया सभी अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत नाथू सिंह की हत्या करने हेतु परस्पर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में अभियुक्त अतेंद्र सिंह द्वारा अपनी लायसेंसी रायफल से आहत नाथू सिंह गुर्जर पर गोली इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में मारी कि यदि उसकी मृत्यु कारित हो जाती तो वे हत्या के दोषी होते ?
- वया अभियुक्तगण अतेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आयुध अधिनियम के प्रावधानों सिहत लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन में हत्या कारित करने के आशय से अपनी लायसेंसी बंदूक का उपयोग किया ?
- 05. दण्डादेश, यदि कोई हो तो ?

।। साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ।।

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2

- **06.** अभिलेखगत साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये विवेचन में तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 07. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्नों का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सिंहत प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि प्रश्नगत घटना समय के स्थान पर सभी अभियुक्तगण अथवा उनमें से किसी के द्वारा अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी जितेंद्र सिंह को क्षोभ कारित किये जाने एवं फरियादी जितेंद्र सिंह व आहत नाथू सिंह को जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में अभिलेख पर पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है, क्योंकि उक्त संबंध में स्वयं फरियादी जितेंद्र सिंह अ०सा०–1 व आहत नाथू सिंह अ०सा०–2 सिंहत अभियोजन के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी वकील सिंह अ०सा०–3 ने ही अपने न्यायालयीन कथनों में कुछ भी प्रकट नहीं किया है और मामले में अन्य साक्षीगण मेडीकल ऑफीसर विवेचक होकर औपचारिक स्वरूप के हैं।
- 08. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त तीनों साक्षीगण से विस्तृत सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उनके कथनों में ऐसी कोई बात अभिलेख पर नहीं आई है, जो कि विचारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन को बल प्रदान करती हो, बल्कि उक्त संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गये उक्त समस्त सुझावों को उक्त तीनों ही साक्षीगण ने



दृढ़तापूर्वक गलत होना बताया है।

09. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर महत्वपूर्ण साक्ष्य का अभाव होने से मामले में अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा अश्लील शब्दों का उच्चारण करते हुये फरियादी जितेंद्र सिंह को क्षोभ कारित किया गया एवं फरियादी जितेंद्र सिंह व आहत नाथू सिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। तद्नुसार विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं।

विचारणीय प्रश्न कमांक-3 एवं 4

- 10. अभिलेखगत साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये विवेचन में तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त दोनों परस्पर संबंधित विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 11. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्नों का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि मामले में फरियादी व प्रत्यक्षदर्शी होकर महत्वपूर्ण साक्षी जितेंद्र सिंह अ0सा0—1 का अपने न्यायालयीन कथनों में सभी अभियुक्तगण को जानते हुये कहना है कि प्रश्नगत घटना कथन दिनांक 02.02.18 से करीब डेढ़ साल पूर्व शाम के 5 बजे की है। उस समय वह अपने घर पर था, तभी हल्ला—गुल्ला की आवाज सुनाई देने पर वह एवं उसका भाई नाथू सिंह मौके पर पहुंचा था तो वहां पर काफी भीड़ उपस्थित थी तथा चार—पांच फायर हुये थे तो उसके भाई नाथू सिंह को गोली लग गई थी, लेकिन उसका कहना है कि काफी भीड़ होने के कारण उसे नहीं पता कि गोली किसने चलाई थी तथा उसने भीड़ के बताये अनुसार एवं भीड़ के साथ थाना गोहद में पहुंचकर प्र0पी0—1 की रिपोर्ट लिखाई थी, जिस पर से पुलिस ने प्र0पी0—2 का मानचित्र बनाते हुये घटनास्थल से चार पीतल के खाली कारतूस एवं छः बारह बोर के खाली कारतूस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0—3 तैयार किया था।
- 12. इसी प्रकार मामले में अभियोजन के अनुसार आहत व प्रत्यक्षदर्शी होकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी नाथू सिंह अ०सा०—2 का अपने न्यायालयीन कथनों में सभी अभियुक्तगण एवं फरियादी जितेंद्र सिंह को जानते हुये कहना है कि प्रश्नगत घटना कथन दिनांक 02.02.18 से करीब डेढ़ साल पूर्व शाम के 5—6 बजे की है। उस समय उसे उसकी पत्नी वाले खेत की तरफ से हल्ला—गुल्ला की आवाज सुनाई देने पर वह एवं उसके भाई वकील सिंह एवं जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गये थे जहाँ पर काफी भीड़ थी और दिन अस्त होने वाला था, तभी भीड़ में से किसी ने गोली चलाई थी, जो उसके

सिर में लगी थी, लेकिन वह नहीं देख पाया था कि गोली किसने चलाई थी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा था एवं उसे बाद में ग्वालियर अस्पताल में इलाज के दौरान होश आया था तथा पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन के अनुसार अन्य प्रत्यक्षदर्शी वकील सिंह अ०सा०–3, जो कि फरियादी व आहत का भाई है, ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में उपरोक्तानुसार कथन किये हैं।

- 13. इस प्रकार मामले के उब्ब तीनों महत्वपूर्ण साक्षीगण अर्थात् फरियादी जितेंद्र सिंह अ०सा0—1 व आहत नाथू सिंह अ०सा0—2 एवं प्रत्यक्षदर्शी वकील सिंह अ०सा0—3 के कथनों से अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन के मामले की पुष्टि नहीं किये जाने के कारण अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने उक्त तीनों साक्षीगण विस्तृत सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उनके कथनों में ऐसी कोई भी बात अभिलेख पर नहीं आई है, जो कि विचारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा ही प्रश्नगत घटना कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन के मामले को बल प्रदान करती हो, बल्कि उक्त संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गये समस्त सुझावों को उक्त तीनों ही साक्षीगण ने वृद्धतापूर्वक गलत होना बताते हुये पुलिस को कमशः प्र0पी0—5, प्र0पी0—6 व प्र0पी0—7 के अनुसार कथन दिये जाने से इंकार किया है तथा फरियादी जितेंद्र सिंह अ०सा0—1 ने प्र0पी0—1 के अनुसार मौखिक रिपोर्ट लिखाये जाने से इंकार किया है और प्र0पी0—1 की रिपोर्ट पर उसके द्वारा केवल हस्ताक्षर करना एवं भीड़ द्वारा रिपोर्ट लिखाया जाना बताया है एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त तीनों ही साक्षीगण ने यह स्वीकारोक्ति / प्रकटन किया है कि प्रश्नगत घटना के समय मौके पर उपस्थित भीड़ में चारों अभियुक्तगण उपस्थित नहीं थे एवं उन्होंने अभियुक्तगण को गोली चलाते हुये नहीं देखा है और गांव के लोगों से उनकी चुनावी रंजिश प्रश्नगत घटना के पूर्व से चल रही है।
- 14. मामले में मेडीकल विशेषज्ञ डाॅ० आलोक शर्मा अ०सा०—4 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि दिनांक 16.09.2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुये थाना गोहद के आरक्षक सुनील शर्मा कमांक 844 द्वारा आहत नाथू सिंह को मेडीकल परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसके द्वारा परीक्षण करने पर निम्न चोटें पाई थीं:— 1.बायें कान में आगे की तरफ 0.6 गुणा 0.5 गुणा 0.4 से.मी. का आड़ा तिरछा फटा हुआ घाव था जिसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े होने से वह प्रवेश का घाव था 2. बायें कान के उपर के भाग में पीछे की तरफ 1 गुणा 0.8 से.मी. का फटा हुआ घाव था, जिसके किनारे बाहर की ओर मुड़े होने से वह निकासी घाव था 3. बायें टेम्पोरल भाग में कान के पीछे 5.5 गुणा 0.9 गुणा 0.2 से.मी. का फटा हुआ घाव था जिससे खून बह रहा था और घाव के आसपास के बाल झुलसे हुये थे।
- 15. मेडीकल विशेषज्ञ डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०—4 द्वारा उक्त संबंध में आगे यह अभिमत दिया गया है कि उक्त चोटें परीक्षण से 6 घंटे की अविध के अंदर की होकर 30 से 50 फुट की दूरी

से आग्नेयास्त्र से आगे से पीछे की तरफ चली एक गोली से आना प्रतीत होती है। तद्नुसार मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट व क्वेरी रिपोर्ट को कमशः प्र0पी0—8 व प्र0पी0—9 के रूप में प्रमाणित करते हुये प्रतिपरीक्षण के दौरान यह गलत होना बताया है कि उक्त चोटें स्वतः कारित हो सकती हैं तथा स्वीकार किया है कि चोटें जीवन के लिये घातक नहीं होकर साधारण स्वरूप की थी।

- 16. मामले में अन्य मेडीकल विशेषज्ञ डाँ० पी०एस० खेनवार अ०सा०—5 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी०—10 व एक्सरे प्लेट आर्टिकल 1 व 2 को प्रमाणित करते हुये कहना है कि दिनांक 15.09.16 को सहारा हॉस्पीटल ग्वालियर में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुये आहत नाथू सिंह को मेडीकल परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसने एक्सरे रिपोर्टिंग में टू पिन हेड साईज फाँरेन बाँडी (मेटल ओपिसिटी) सिर की बायी तरफ ऑफसीपीटल रीजन में पाये थे तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि उक्त दोनों टुकड़े आहत को उचटकर भी लग सकते हैं एवं उनसे आहत की मृत्यु नहीं हो सकती थी, लेकिन उक्त दोनों साक्षीगण मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं होकर मात्र मेडीकल विशेषज्ञ होने के कारण उनके कथनों के आधार पर अधिकतम यही स्थापित किया जा सकता है कि घटना दिनांक को आहत नाथू सिंह के सिर के बायीं तरफ आग्नेयास्त्र से चली गोली के कारण चोटें विद्यमान थीं और अभियुक्तगण के विरूद्ध अमिलेख पर मूल साक्ष्य का अभाव होने से उक्त दोनों विशेषज्ञ साक्षीगण के कथनों के आधार पर यह कदापि स्थापित नहीं किया जा सकता है कि उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा अथवा उनमें से किसी के द्वारा आग्नेयास्त्र से गोली चलाकर कारित की गई थी।
- 17. मामले में रिपोर्ट लेखक व विवेचक यतेंद्र सिंह भदौरिया अ०सा0—6 ने अपने न्यायालयीन कथनों में दिनांक 16.09.16 को अर्थात घटना दिनांक को थाना गोहद में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुये फरियादी जितेंद्र सिंह के बताये अनुसार प्र0पी0—1 की रिपोर्ट लेखबद्ध किया जाना एवं दिनांक 17.09.16 को घटनास्थल पर पहुंचकर फरियादी जितेंद्र सिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मानचित्र प्र0पी0—2 बनाया जाना एवं जप्ती पत्रक प्र0पी0—3 के अनुसार 4 पीतल के खाली खोखे व 6 बारह बोर के खाली खोखे जप्त करना तथा जप्ती पत्रक प्र0पी0—4 के अनुसार घटनास्थल से खून आलूदा व सादा मिट्टी जप्त करना एवं साक्षीगण जितेंद्र सिंह, नाथू सिंह व वकील सिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया जाना प्रकट किया है, लेकिन प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर बारह बोर की बंदूक से फायर किये जाने एवं दो से अधिक फायर किये जाने के संबंध में स्वयं अभियोजन पक्ष का ही कोई मामला नहीं है, वहीं दूसरी ओर स्वयं फरियादी जितेंद्र सिंह अ0सा0—1, आहत नाथू सिंह अ0सा02 एवं प्रत्यक्षदर्शी वकील सिंह अ0सा0—3 ने अपने न्यायालयीन कथनों में मौके पर उपस्थित काफी भीड़ में से पीछे की तस्फ से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाई गई गोली नाथू सिंह

को लगना बताते हुये मौके पर अभियुक्तगण को न तो उपस्थित होना बताया है और न ही उनको गोली चलाते हुये देखना बताया है और वैसे भी मामले में एस0आई0 यतेंद्र सिंह भदौरिया अ0सा0–6 मात्र रिपोर्ट लेखक व विवेचक होकर औपचारिक साक्षी है। अतएव उक्त साक्षी के कथनों के आधार पर भी मामले में अभिलेख पर मूल साक्ष्य का अभाव होने के कारण अभियुक्तगण की संदेह से परे दोषसिद्धी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

- 18. मामले में अभियुक्त पक्ष की ओर से स्वेच्छया स्वीकार किये जाने से जप्ती पत्रकों प्र0पी0—11 व 12 एवं गिरफतारी पत्रकों प्र0पी0—13 लगायत 16 को प्रदर्शित किया गया है तथा उभयपक्ष की अनापत्ति को देखते हुये एफ०एस०एल० रिपोर्टों को भी प्र0पी0—17 व 18 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। गिरफतारी पत्रक प्र0पी0—13 लगायत 16 के अनुसार अभियुक्तगण की गिरफतारी के संबंध में मामले में उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद नहीं है तथा जप्ती पत्रक प्र0पी0—11 व 12 के अनुसार अभियुक्तगण राजेंद्र सिंह व अतेंद्र सिंह के कब्जे से कमशः लायसेंस सिहत एक—एक 315 बोर की रायफल को जप्त किया गया है, चूंकि उक्त दोनों अभियुक्तगण से जप्तशुदा रायफल लायसेंसी है। अतः कथित अभियुक्तगण से प्रश्नगत रायफल लायसेंस सिहत जप्त होना स्वाभाविक होने के कारण प्र0पी0—11 व 12 के पत्रकों के आधार पर मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रश्नगत घटना कारित किये जाने एवं प्रश्नगत घटना में उक्त हथियार का प्रयोग किये जाने के संबंध में कोई निष्कर्ष अवधारित नहीं किये जा सकते हैं। अतः प्र0पी0—11 लगायत 16 के उक्त दस्तावेजों का भी कोई लाभ अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है।
- 19. मामले में प्राप्त एफ0एस0एल0 रिपोर्ट प्र0पी0—17 व 18 को उभयपक्ष की अनापित के आधार पर इस न्यायालय द्वारा प्रदर्शित किया गया है। एफ0एस0एल0 रिपोर्ट प्र0पी0—18 के अवलोकन से पाया जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जांच हेतु भेजी गई आर्टिकल—ए की खून आलूदा मिट्टी के धब्बे विघटित होने के कारण एफ0एस0एल0 द्वारा कोई अभिमत नहीं दिया जा सका है। इसी प्रकार एफ0एस0एल0 रिपोर्ट प्र0पी0—17 के अवलोकन से पाया जाता है कि उसमें एफ0एस0एल0 द्वारा अभियोजन के इस मामले से पूर्णतः विपरीत यह अभिमत दिया गया है कि प्रदर्श ईसी—1 से ईसी—4 तक के चार पीतल के खाली कारतूस टेस्ट फायर कारतूस टीसी—ए1 से असमान पाये जाने के कारण उन्हें रायफल प्रदर्श—ए1, जो कि अभियोजन के अनुसार अभियुक्त अतेंद्र से जप्त हुई है, से फायर नहीं किया गया है।
- 20. इसी प्रकार प्र0पी-17 की रिपोर्ट में जप्तशुदा बारह बोर के छः खाली कारतूसों ईसी-5 लगायत ईसी-10 के संबंध में एफ0एस0एल0 द्वारा उक्त छः कारतूस आपस में से ईसी-5 व ईसी-7 परस्पर समान होना, ईसी-6 व ईसी-10 परस्पर समान होना एवं ईसी-8 व ईसी-9 परस्पर समान

होना तथा शेष सभी से असमान होना बताया गया है एवं उन्हें बारह बोर की भिन्न-भिन्न बंदूकों से फायर किया गया होना बताया है। प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर बारह बोर की विभिन्न बंदूकों से अथवा बारह बोर की बंदूक से फायर किये जाने के संबंध में स्वयं अभियोजन पक्ष का ही कोई मामला नहीं है, बल्कि अभियोजन के अनुसार मामला अभियुक्त अतेंद्र सिंह द्वारा अपनी लायसेंसी आर्टिकल-सी की रायफल से एवं अभियुक्त राजेंद्र सिंह द्वारा अपनी लायसेंसी आर्टिकल-एफ की रायफल से फायर किये जाने के संबंध में है तथा अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि जप्तश्दा चार पीतल के कारतूसों की आर्टिकल-एफ की रायफल से फायर किये जाने के संबंध में अभियोजन पक्ष द्व ारा कोई जांच ही नहीं कराई गई है। यद्यपि प्र0पी0—17 की रिपोर्ट में एफ0एस0एल0 द्वारा आर्टिकल-सी व एफ की रायफल फायर योगय होना एवं उनकी बैरल में पूर्व में फायर किये जाने के अवशेष की उपस्थिति पाई जाना बताया गया है, लेकिन उक्त रिपोर्ट सहित अभिलेख पर इस संबंध में कुछ भी मौजूद नहीं है कि प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर ही उक्त दोनों रायफलों से अभियुक्तगण अथवा उनमें से किसी के द्वारा फायर किये जाने के कारण कथित अवशेष मौजूद थे तथा मामले में स्वयं फरियादी जितेंद्र सिंह अ०सा०-1 व आहत नाथू सिंह अ०सा०-2 सहित प्रत्यक्षदर्शी वकील सिंह अ0सा0-3 ने अपने मुख्य परीक्षण में मौके पर से उपस्थित काफी भीड़ में से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किये जाने के कारण नाथू सिंह को गोली लगना भर बताया है और अभियुक्तगण अथवा उनमें से किसी के द्वारा गोली चलाये जाने के संबंध में कुछ भी प्रकटन नहीं किया है, बल्कि प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त तीनों ही साक्षीगण ने यह भी स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि प्रश्नगत ह ाटना के समय व स्थान पर मौके पर उपस्थित भीड़ में न तो अभियुक्तगण उपस्थित थे और न अभियुक्तगण को गोली चलाते हुये देखा है। ऐसी स्थिति में बचाव साक्षी अतेंद्र सिंह ब0सा0-1 के इन कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है कि उसके द्वारा अपनी लायसेंसी बंदूक का प्रश्नगत घटना में उपयोग नहीं किया गया है।

21. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर महत्वपूर्ण एवं विश्वासप्रद साक्ष्य का अभाव होने के कारण मामले में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि सभी अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत नाथू सिंह की हत्या करने हेतु परस्पर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में अभियुक्त अतेंद्र सिंह द्वारा अपनी लायसेंसी रायफल से आहत नाथू सिंह गुर्जर पर गोली इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में मारी कि यदि उसकी मृत्यु कारित हो जाती तो वे हत्या के दोषी होते एवं अभियुक्तगण अतेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आयुध अधिनियम के प्रावधानों सहित लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन में हत्या कारित करने के आशय से अपनी लायसेंसी बंदूक का उपयोग किया। तदनुसार विचारणीय प्रश्न कमांक 3 व 4 प्रमाणित नहीं पाये



जाते हैं।

- 22. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 4 के निराकरण अनुसार अभियोजन का यह मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाने से अभियुक्त अतेंद्र सिंह को धारा 294, 307 व 506 भा0दं०सं० एवं धारा 30 आयुध अधिनियम के आरोप से व अभियुक्त राजेंद्र सिंह को 294, 307/34 व 506 भा0दं०सं० एवं धारा 30 आयुध अधिनियम के आरोप से तथा अभियुक्तगण लल्ला उर्फ रामनरेश सिंह व भूपेंद्र सिंह को 294, 307/34 व 506 भा0दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 23. मामले में सभी अभियुक्तगण पूर्व से नियमित जमानत पर हैं। अतः उनके जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 24. प्रकरण में जप्तशुदा खून आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात् अपील नहीं होने की दशा में नष्ट हो एवं जप्तशुदा कुल 10 खाली कारतूस अपील अविध पश्चात् अपील नहीं होने की दशा में विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावें तथा प्रकरण में जप्तशुदा दोनों 315 बोर की लायसेंसी रायफलें नंबर क्रमशः 6083 व 074206579 एवं लायसेंस नंबर 181/67 व 41/2011, वैध एवं प्रभावी लायसेंस प्रस्तुत होने पर संबंधित अभियुक्त को अपील अविध पश्चात अपील नहीं होने की दशा में दी जावें तथा छः माह तक वैध एवं प्रभावी लायसेंस पेश नहीं होने पर जप्तशुदा दोनों लायसेंस सहित 315 बोर की रायफलें विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावें। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा की जावे।
- 25. सभी अभियुक्तगण के धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत विधिवत प्रमाण-पत्र आज ही तैयार किये जाकर प्रकरण के साथ संलग्न किये जावें।
- 26. निर्णय की प्रति धारा 365 दं०प्र०सं० के तहत अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया) मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड । (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड ATTHER ATTENDED TO SERVICE OF THE PARTY OF T

ALLAND PARTIE STATE OF STATE O